न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः 73/2017

दर्ज दिनांकः 28/08/2017

निर्णय दिनांक : 15/02/2018

प्रेमचन्द पुत्र सूरजकरण उर्फ सूरजमल जाति महाजन, निवासीः चांदमाकलां, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——प्रार्थी

बनाम

1. चेतनलाल
2. पदमचन्द
3. अशोक
4. जितेन्द्र
5. धर्मचन्द

   समस्त पुत्रान सुरजकरण उर्फ सुरजमल जातियानः महाजन, निवासीयानः चांदमाकलां, तहसील फागी, जिला जयपुर।
6. उपपंजीयक माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
7. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वादी/प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त शीर्षकीय वाद पत्र विधिवत रूप से एवं ठोस आधारो पर पेश किया है जिसमें प्रार्थी को

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

सफलता की पूरी–पूरी आशा है। विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 120 के आराजी खसरा नंबर 1474, 1495, 1498, 1503, 1515, 1517, 1518, 1521, 1523, 1575 एवं 1576 कुल किता 11 कुल रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा भूमि वाके ग्राम चांदमकलां, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दर्ज राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर बाहमी बंटवारा कर काबिज काश्त है इसी हिस्सेनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण काबिज काश्त रहकर सरकारी लगान जमा कराते चले आ रहे है। प्रार्थी उपरोक्त आराजीयात में अपने नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हिस्से को मौके पर बांहमी बंटवारा कर काबिज काश्त है उक्त आराजीयात को प्रार्थी ने काफी पैसा खर्च कर समतल एवं उपजाऊ बना लिया है प्रार्थी के हस्से की जमीन से अप्रार्थीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है इस कारण अप्रार्थीगण की नियत में फितूर है इसलिये अप्रार्थीगण बाहमी बंटवारे को नहीं मानकर प्रार्थी को हैरान परेशान कर उसकी उपजाऊ भूमि पर कब्जा कर लेना चाहते है एवं मौके पर कब्जे काश्त की भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अप्रार्थीगण प्रार्थी से मेर कोर को लेकर आयें दिन विवाद उत्पन्न करने लगे है। प्रार्थी उक्त आराजी में से अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है। प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि में काफी पैसा एवं श्रम खर्च करके उसे काफी उन्नत एवं उपजाऊ बना लिया है इस कारण अप्रार्थीगण की नियत में फितूर है एवं वह बाहमी बंटवारे को नहीं मानकर येनकेन प्रकारेण प्रार्थी जो रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है को हैरान परेशान कर उसकी कब्जे काश्त की भूमि को अपनी बताकर बेचान कर बेदखल करने की फिराक में है जिसका अप्रार्थीगण को बिना विधिवत तकासमा करवाये कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को उक्त आराजीयात का विधिवत तकासमा बाहमी बंटवारे एवं मौके पर कब्जे अनुसार करा लेने हेतु कई बार कहा परन्तु हर बार अप्रार्थीगण प्रार्थी को कोई न कोई बहाना बनाकर आज दिन तक टालते चले आ रहे है कि समय मिलने पर विधिवत तकासमा करा लेगे अभी हम बाहमी बंटवारे अनुसार अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है इसमें चिन्ता की कोई बात नहीं है लेकिन अप्रार्थीगण एकराय होकर प्रार्थी के कब्जे काश्त की उपजाऊ भूमि पर जबरन नाजायज कब्जा करने पर आमादा है एवं प्रार्थी की बोई गई सावणू की फसल को खुर्द बुर्द करने की फिराक में है इसलिये अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

की कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे एवं प्रार्थी की बोई गई सावणू की फसल को खुर्द बुर्द नहीं करे न अन्य से करावे। अभी हाल ही में दिनांक 06.08.2017 को जब प्रार्थी अपनी बाहमी बंटवारे अनुसार कब्जे काश्त एवं खातेदारी के हिस्से की भूमि में बोई गई सावणू की फसल की देखरेख हेतु गया तो अप्रार्थीगण दो तीन अजनबी व्यक्तियो को मौके पर लेकर आये एवं प्रार्थी की आराजी की ओर इशारा करते हुये बेचान की बातचीत करने लगे प्रार्थी के मना करने पर ऐलानिया धमकी दी कि तुम्हारे कब्जे काश्त की जमीन को इन लोगो को बेचान कर तुम्हे तुम्हारे कब्जे से बेदखल कर देगे, हम तुम्हारे बाहमी बंटवारे की उन्नत एवं उपजाऊ भूमि पर काश्त करेगे जिस पर प्रार्थी ने उन्हे समझाया कि बाहमी बंटवारे अनुसार हम अपने हिस्से की भूमि पर अपने पिता के समय से ही काबिज काश्त है जिस पर मैने काफी पैसा व श्रम खर्च करके उन्नत एवं उपजाऊ बना रखा है यदि तुम्हारे द्वारा ऐसा गलत कार्य किया गया तो यह हमारे साथ अन्याय होगा जिस पर अप्रार्थीगण व परिवरजनो ने प्रार्थी को धमकी दी कि यदि तुमने हमे आराजी भूमि पर काश्त हमारे मनमाफिक स्थान पर नहीं करने देगे तो हम अप्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजीयात का बेचान ऐसे व्यक्तियो को कर देगे जो तुम्हे तुम्हारे काबिज स्थान जो कि बाहमी बंटवारे में तुम्हारे कब्जे काश्त में है जिसे तुमने उन्नत व उपजाऊ बना रखा है से बेदखल कर देगे इस कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना लाजमी आया है। अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो आराजी भूमि अविभाजित में अपने हिस्से के बेचान कर प्रार्थी के हिस्से की भूमि जो बाहमी बंटवारे में प्रार्थी के कब्जे काश्त में है, से बेदखल कराने के लिए दीगर व्यक्ति को बेचान करे एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत उत्पन्न करावे, कब्जे काश्त से बेदखल करावे जबकि प्रार्थी को यह कानूनी हक व अधिकार है कि वो मान्य न्यायालय के द्वारा आराजी का विधिवत तकासमा करा ले एवं अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा दे। उपरोक्त वर्णित तथ्यो के आधार पर प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में सुदृढ एवं बखूबी साबित है। उपरोक्त वर्णित तथ्यो के आधार पर सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के दोनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सुदृढ एवं बखूबी साबित है क्योकि प्रार्थी आराजी भूमि में अपने हिस्से की खातेदारी पर काबिज काश्त है जिसे यदि अप्रार्थीगण दीगर व्यक्तियो को आराजी का बेचान कर उसके कब्जे के स्थान पर प्रार्थी के कब्जे पर क्रेता आकर काबिज होकर प्रार्थी को

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

बेदखल कर देगा तो प्रार्थी को ऐसी अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसको क्षतिपूर्ति रूपये पैसो में नहीं की जा सकेगी तथा सुविधा का संतुलन भी इसमें है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को बाहमी बंटवारे में आई भूमि से प्रार्थी को बेदखल न करे, न करावे।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूद वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी को रहन, बेय, मुतंकिल न करे, आराजी पर से प्रार्थी को बेदखल न करे, न करावे। प्रार्थी को शांतिपूर्वक काबिज काश्त, उपयोग–उपभोग करने देवे इसमें किसी प्रकार की मजाहमत न स्वयं करे, न करावे, मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली दिनांक 28.08.2017 को रिपोर्ट होकर प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बाद बहस मनन अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया कि वह जवाब प्रस्तुत किये जाने तक वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान नहीं करे, राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। दिनांक 13.10.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया साथ ही अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 3 सी.पी.सी पेश किया, शामिल पत्रावली किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब प्रस्तुत होने से अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से मुक्त किया जाकर आदेश दिनांक 28.08.2017 में इस हद तक संशोधन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 वादग्रस्त आराजी की मौका यथास्थिति जवाब प्रस्तुत किये जाने तक बनाये रखे। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त स्थगन अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रभावित नहीं रहेगे। दिनांक 06.02.2018 को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के विरूद्व न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की ओर से पैरोकार राज0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने से इंकार किया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध फोटोप्रति जमाबंदी, जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा, वाद पत्रावली इत्यादि का ध्यानपूर्वक

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि आराजीयात के वादी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। पक्षकारान के मध्य कब्जा संबंधी विवाद है जिसके निस्तारण के लिये वाद तकासमा विचाराधीन है।

पक्षकारान के मध्य कब्जा संबंधी विवाद का निस्तारण वाद के अंतिम निर्णय के समय किया जावेगा। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति समस्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित पाये जाते है। न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0काश्त0 अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि खसरा नंबर 1474, 1495, 1498, 1503, 1515, 1517, 1518, 1521, 1523, 1575 एवं 1576 कुल किता 11 कुल रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा ग्राम चांदमकलां, तहसील फागी, जिला जयपुर को रहन, बेचान नहीं करे, आराजीयात के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 15/02/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)